



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मेसर्स नीरज कुमार सिंह, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्स्ट्रलिवेड विल् स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, 1.00 हेक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हेक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को 01:45 PM से 02:30 PM तक, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	रतन कुमार	ADM		
2	सुनीता यादव	SDM		
3	Vivek Goel	RO, RPOB, Bhanolpa	95303 45580	
4	R. N. Mangal	M.E. Bharatpur	98288 97880	
5	Anamj Tulpaki	JEE, RPOB, Bhanolpa	9073 22272	
6	Deshwade Shri	SDO Pahara	7568 275 755	
7	जुवेर	गंगोरा		
8	सुनील चंद्रशेखर	गंगोरा पहाडी	90839 21606	
9	प्रेसिडेंट जे.डी.के.	गंगोरा मंदिर भरतपुर	9828 13961	
10	Sayant Singh	AD, PO.	94130 4189	
11	वी.के.	गंगोरा	9982 413535	
12	गोविंद जगदीश	जवाहर नगर भरतपुर	94140 25717	
13	Jitendra K Yadav	munali, Bhanolpa	96715 55238	
14	AKSHOL KHANNA	F.P. Jhankar (CHA)	98122 08148	
15	जुवेर	गंगोरा	9887 155715	
16	Gyanendra Kumar	Crangpora pahara	90572 32112	
17	Chander Shekhar	Bharat-Pus-	9555 185540	
18	Shree Singh	Bharat-Pus-	88 604 8755	
19	जुवेर	गंगोरा	9828 13058	
20	जुवेर	JLR गंगोरा	9949 69956	



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

भैरवरी नीरज कुमार सिंह, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2C/18, बीएम 1.30 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (TOM) 24 प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बावत जन सुमवाई दिनांक 21.02.2023 को 01:45 PM से 02:30 PM तक, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

21	सोहन गुर ब्रिष पय	जंगौरा पहाडी	8000682016	
22	शिवकुमार	ह.र.स. जंगौरा	998260532	
23	महेन्द्र सिंह	पड	9509515941	
24	नीमान खान	सरयन	7240797115	
25	राजपाल	पि.न.न.न. अलवर पहाडी	989336003	
26	शिवकुमार सिंह	गंगोरा तहसील पहाडी	9058238892	
27	रवि	जंगौरा		
28	इकबाला	जंगौरा पहाडी	9902519540	
29	अमल	जंगौरा पहाडी	7376066462	
30	सुरेश	जंगौरा पहाडी	9772211393	
31	रवि	जंगौरा पहाडी	9512343037	
32	Arshad	जंगौरा	9352179546	
33	Gurur	जंगौरा	8875772073	
34	पिनोय	जंगौरा	7240577658	
35	विमल	जंगौरा	7357976743	
36	विमल	जंगौरा	8094797311	
37	सहज	पहाडी	9116666700	
38	Narenha Singh	JEE, ESPCB, Bharatpur	9315265199	
39				
40				
41				
42				

जन सुनवाई विवरण

मैसर्स नीरज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित परियोजना, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को कार्यावृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिसूचना, कमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 का Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A,11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स नीरज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित परियोजना, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में श्री रतन कुमार, अतिरिक्त जिला क्लस्टर, भरतपुर (जिला क्लस्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2023 को अपरान्ह 01:45 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा, तहसील- पहाड़ी, जिला - भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बायत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को सांध्य ज्योति दर्पण तथा राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

वैद्यक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोंयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भरतपुर द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स नीरज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित परियोजना, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये

पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना के पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जनमानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई की तकनीकी परामर्शदाता श्रीमती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान इंटरलॉकड विद स्टोन कशर परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानना चाहा गया कि परियोजना संबंधित प्रस्तुतीकरण में मॉड्यूलर एस.टी.पी. व उससे संबंधित संयंत्र क्षमता आदि के विवरण के बारे में जानकारी चाही गयी। इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया किया गया कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की क्षमता लगभग 02 के.एल.डी. की होगी तथा इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अंतिम पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (Final EMP) में शामिल कर राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

श्री बलवीर सिंह, निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा परियोजना में आवंटित खनन पट्टों की धार्मिक महत्व के मन्दिर से न्यूनतम दूरी तथा आवंटित खनन पट्टों की वैधता अवधि सम्बंधित जानकारी चाही गयी। जिसके प्रत्युत्तर में खनि अभियंता द्वारा बताया गया की पट्टा की वैधता पंजीयन तिथि से पचास वर्ष तक की होती है तथा पट्टों की धार्मिक महत्व के मन्दिर से न्यूनतम दूरी 45 मीटर निर्धारित है।





तत्पश्चात् श्री जुवैर जी निवासी ग्राम गंगोरा व तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा आपत्ति जाहिर की खनि अभियंता द्वारा बताया गये नियम कब कब बने है जिसके प्रत्युत्तर में खनि अभियंता द्वारा बताया गया की उक्त नियम डडब्लू 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित है।


श्री सहफुद्दीन जी निवासी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा आपत्ति जाहिर किया गया कि खनन पट्टों का आवंटन, में स्थानीय लोगों को नही शामिल किया जाता है। उनके द्वारा बताया गया की खनन पट्टों में धूल मिट्टी उडने से आमजन की सेहत पर प्रतिकूल असर हो रहा है तथा स्थानीय ग्रामीणों को खनन पट्टों में रोजगार के अवसर से वंचित रखा जा रहा है।


इसके प्रत्युत्तर में खनि अभियंता, भरतपुर द्वारा बताया गया कि खनन पट्टों का आवंटन पंच पारदर्शिता के साथ ई-आक्शन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक श्री गीरज कुमार सिंह द्वारा आश्वस्त किया गया कि परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों को ही रोजगार का अवसर दिया जायेगा तथा नियमानुसार धूल दमन उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

तदोपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखा गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं आपके विचार व सुझाव/आपत्तियों सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि सुनवाई के दौरान जाहिर की गयी आपत्तियों पर गम्भीरता से विचार कर अपने पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (Final EMP) में शामिल करें।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(विवेक गायल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर


(रतन कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
भरतपुर, (राज.)